न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास अलवर (राज0)

अध्याशाषितः— श्री गंगाधर मीणा आर0ए0एस0

दावा सं0	प्रवेश तिथि	निर्णय
22/13	6.2.13	21.9.22

उनवान

1.मल्हा पुत्र श्री सायभान जाति मेव निवासी ग्राम सैदपुरबाग खैरथल तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर, राजस्थान।

2. लिछमन पुत्र श्री कालुराम जाति गुर्जर निवासी बघेरी खुर्द तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान।

:— वादीगण

बनाम

1. महेन्द्र सिंह पुत्र मुन्शी सिंह उर्फ मन्शासिंह

2. बलबीरसिंह पुत्र श्री दलीप सिंह

3. कश्मीरसिंह पुत्र दलीप सिंह

4. कलवन्त सिंह पुत्र दलीप सिंह

5. श्रीमती बीरा बाई बेवा बचनसिंह

6. राजेन्द्र सिंह पुत्र बचनसिंह

7. महेन्द्र सिंह उर्फ मिन्दरसिंह पुत्र मुन्शी सिंह उर्फ मंशा सिंह जाति रायसिख निवासी सैदपुर बाग खैरथल तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर राजस्थान।

:— प्रतिवादीगण

दावा इश्तकराहक मय दुरूस्ती वो हुक्मइम्मतनाई

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

उपस्थितिः—1. वादीगण की ओर से श्री परमानन्द शर्मा।

2. प्रतिवादीगण की एक पक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

दावे के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से हैः—

दावे के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है। वकील वादी ने वाद पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा संख्या 28 रकवा 15 बिस्वा वाके मोजा खैरथल तहसील किशनगढ़बास में स्थित है कि जो गत खसरा संख्या 19 रकवा 0—16 बिस्वा वाके खैरथल से पैमुद हुए हैं कि जो आगे वाद में विवादित आराजी के नाम से जानी जावेगी। वास्ते मुलाहिजा नकल जमाबंदी हाल संख्या 2067—70 लफेहाजा है विवादित आराजी प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 के दादाजी मुंशी सिंह उर्फ मंशा सिंह पुत्र बहादरसिंह की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी थी कि जिसका रजिस्टर्ड बयनामा प्रतिवादीगण के दादा मृतक मुन्शी सिंह उर्फ मंशा सिंह द्वारा दिनांक 02.07.1982 को समस्त प्रतिफल मिन वादीगण से नकद प्राप्त कर वाजाप्ता बाकब्जा बेचान कर दिया गया तब से ही मिन वादीगण विवादित आराजी पर अपने हिस्से अनुसार शान्तिपूर्वक काबिज वो दाखिल होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रतिवादीगण गैर—काबिज गैर—वास्ता आराजी हैं।

बाद तस्दीक असल बयनामा मिन वादीगण ने वास्ते दर्ज कराने अपने हक में इन्तकाल विवादित आराजी का पटवारी हल्का को दे दिया था। पटवारी हल्का द्वारा मिन वादीगण को विश्वास दिया कि मैं इन्तकाल बयनामा के आधार पर तुम्हारे हक में दरज वो स्वीकार करा दूंगा। मिन वादीगण विश्वास में रहे तथा पटवारी हल्का से संपर्क नहीं किया। अब मिन वादीगण को दिनांक 07.01.2013 को विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदीयात की जरूरत पड़ी तो पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो पटवारी हल्का ने विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादीगण के नाम का अंकन होना बताया । इस पर मिन वादीगण ने नकले राजस्व रिकॉर्ड बयनामा आदि प्राप्त की वकील साहब से सम्पर्क कर कानूनी सलाह ली। विवादित आराजी मिन वादीगण की जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद खुदा आराजी है मौके पर शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। दिनांक 02.02. 2013 को मिन वादीगण ने प्रतिवादीगण से सम्पर्क कर राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त कराने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण साफ रूप से इन्कार हो गए तथा विवादित आराजी से जबरन बेदखल

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

कर कब्जा करने वो दीगर जगह बेचान आदि करने की धमकी दी है। मिन वादीगण के अधिकार कानून द्वारा रक्षित हैं। प्रतिवादीगण गैर काबिज गैर वास्ता आराजी हैं। जिसका राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकन रहने से मिन वादीगण के अधिकारों पर कुठाराघात होता है। इसलिए मिन वादी अपने अपको विवादित आराजी का बयनामा दिनांक 02.07.1982 के आधार पर अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करार दिलाने का अधिकारी है तथा जो राजस्व रिकॉर्ड हाल जमाबंदीयात में प्रतिवादीगण के नाम का अंकन हो रहा है उसको कलम जद किया जाकर मिन वादीगण के नाम का अमल ताहाल जमाबंदीयात में कराने का अधिकारी है। अतः दावा इश्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज पेश करना लाजिम आया।

4. अतः प्रार्थना है कि वाद बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावेः—

अ. डिक्री इज्राय इश्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज बहक वादीगण विरुद्ध प्रति0 इस कदर पारित की जावे कि आराजी हाल खसरा संख्या 28 रकबा 0—15 बिस्वा {0.19हे0} वाके ग्राम खैरथल तहसील किशनगढ़बास का बयनामा दिनांक 02.07.1982 के आधार पर काबिज काश्तकार खातेदार घोषित करार दिया जावे। तथा राजस्व रिकॉर्ड हाल जमाबंदीयात में जो प्रतिवादीगण के नाम का अमल हो रहा है उसको कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादीगण के नाम का खातेदार काश्तकार का अमल ताहाल जमाबंदियात में किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती फरमाई जावे।

ब. डिक्री इज्राय हुक्म इम्तनाई दवामी बहक वादीगण विरुद्ध प्रति0 इस कदर पारित की जावे कि विवादित आराजी हाल खसरा संख्या 28 रकबा 0—15 बिस्वा ग्राम खैरथल तहसील किशनगढ़बास के कब्जा काश्त उपयोग—उपभोग आराजी वादीगण में प्रति0 किसी प्रकार मजाहमत मदाखलत पैदा ना करे, रहनबय आदि से खुर्द बुर्द मुन्तकिल ना करे। राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका की यथावत स्थिति कायम रखे।

स. हरजा खर्चा मुकदमा का वादीगण को प्रति0 से दिलाया जावे अन्य दीगर दादरसी जो वनजदीक अदालत श्रीमान हो वादीगण को बख्सी जावे।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस एवं सर्वे अखबार तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए। उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई।

वादीगण ने साक्ष्य में वादी लिखमण का शपथ पत्र पीडब्लू–1, नसरू पीडब्लू–2, मोहरसिंह पीडब्लू–3 के शपथ पत्र पेश किये है तथा दस्तावेजी साक्ष्य में नकल जमाबंदी संवत् 2067–70वाके मौजा खैरथल, प्रदर्श–1, जमाबंदी संवत् 2038 खाता नं. 861 प्रदर्श–2, प्रदर्श–3 जमाबंदी 2038 तथा प्रमाणित प्रतिलिपि बयनामा, प्रदर्श–4 पेश किये।

वकील वादीगण की एक एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने अपनी बहस में वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रतिवादीगण ने विवादित आराजी का बेंचान जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 2.7.1982 को वादीगण को कर दिया था तथा खरीद से ही विवादित आराजी प वादीगण शान्तिपूर्वक काबिज काश्त करता चला आ रहा है। जिस पर प्रतिवादीगण का नाम गलत रूप से दर्ज कर दिया जबकि प्रतिवादीगण का आराजी से कोई लेना देना नही है। वादीगण ने अपने दावे के समर्थन मे समस्त दस्तावेज पेश किये है। दावा वादी डिक्री फरमाया जावे।

हमने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया नकल जमाबंदी संवत 2038 में विवादित आराजी वादीगण ने प्रतिवादीगण के पिता दादा से जरिये रजिस्टर्ड बयनाम दिनांक 2.7.1982 से आराजी ख0न0 28 रकबा 0.15 हे0 वाके ग्राम खैरथल तह0 किशनगढबास खरीद की गई है जो नकल बयनामा प्रदर्श–4 के अवलोकन से साबित है । तथा बयनामा में वादीगण को कब्जा आराजी खरीद से ही संभलवाया गया है। इस प्रकार यह तथ्य भलीभांति सिद्व होता है कि विवादित आराजी वादीगण की खरीदशुद्वा कब्जा काश्त की खातेदारी आराजी है। जो नाम प्रतिवादीगण का हो रहा है उसे कलमजन कराने के अधिकारी उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादीगण बाखूबी सिद्व होता है।

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का डिक्री किया जाना कानून संगत वो न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

अतः आदेश है कि :–

वादी वादीगण वहक प्रतिवादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण को आराजी ख0न0 28 रकबा 0.15 हे0 वाके ग्राम खैरथल तहसील किशनगढबास का खरीददार काबिज काश्तकार खातेदार घोषित किया जाता है। तथा जो अमल राजस्व रिकार्ड प्रतिवादीगण के नाम का हो रहा है उसे कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादीगण के नाम खातेदार काश्तकार का अमल किया जाने के आदेश दिये जाते है। तदनानुसार ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वादीगण स्वंय वहन करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गंगाधर मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास अलवर (राज0)

अध्याशाषितः— श्री गंगाधर मीणा आर0ए0एस0

दावा सं0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
22 / 13	06.02.2013	21.09.2022

उनवान

1.मल्हा पुत्र श्री सायभान जाति मेव निवासी ग्राम सैदपुरबाग खैरथल तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर, राजस्थान।

2. लिछमन पुत्र श्री कालुराम जाति गुर्जर निवासी बघेरी खुर्द तहसील कोटकासिम जिला अलवर राजस्थान।

:— वादीगण

बनाम

1. महेन्द्र सिंह पुत्र मुन्शी सिंह उर्फ मन्शासिंह

2. बलबीरसिंह पुत्र श्री दलीप सिंह

3. कश्मीरसिंह पुत्र दलीप सिंह

4. कलवन्त सिंह पुत्र दलीप सिंह

5. श्रीमती बीरा बाई बेवा बचनसिंह

6. राजेन्द्र सिंह पुत्र बचनसिंह

7. महेन्द्र सिंह उर्फ मिन्दरसिंह पुत्र मुन्शी सिंह उर्फ मंशा सिंह जाति रायसिख निवासी सैदपुर बाग खैरथल तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर राजस्थान।

:— प्रतिवादीगण

दावा इश्तकराहक मय दुरुस्ती वो हुक्मइम्तनाई

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)

उपस्थितिः— 1. वादीगण की ओर से श्री परमानंद शर्मा।

2. प्रतिवादीगण की एक पक्षीय कार्यवाही।

पर्चा डिक्री

वाद—वादी मुताबिक कुर्रे कायमी रिपोर्ट के डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि पक्षकारान के नाम के सम्मुख अंकित आराजी उनके कब्जे काश्त खातेदारी में रहेगीः—

वादी वादीगण बहक प्रतिवादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादीगण को आराजी ख0 नं0 28 रकबा 0.15हे0 वाके ग्राम खैरथल तहसील किशनगढ़बास का खरीददार काबिज काश्तकार खातेदार घोषित किया जाता है। तथा जो अमल राजस्व रिकॉर्ड प्रतिवादीगण के नाम का हो रहा है उसे कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर वादीगण के नाम खातेदार काश्तकार का अमल किया जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदनानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वादीगण स्वयं वहन करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

प्रस्तावित उक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो नजरी नक्शा डिक्री का जुज रहेगा, खर्चा फरीकेन अपना—अपना वहन करेंगे निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल रिकार्ड हो।

(गंगाधर मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (अलवर)